



NIMBUS PROJECTS LIMITED

(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

CIN : L74899DL1993PLC055470



NPL/BSE/2024-25/64

September 23, 2024

To,
The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street
Mumbai — 400001

Ref: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code: 511714
Scrip ID: NIMBSPROJ

Dear Sir,

In continuation of our letter dated August 30, 2024 bearing reference no. **NPL/BSE/2024-25/57** and Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform you that Nimbus Projects Limited ("Company") has executed a Binding Term sheet (dated August 30, 2024) proposing to act as Co-Developer (CD) related to co-development of the Phase-II of Sunworld Arista Project located at Sector 168, Noida, Uttar Pradesh (the 'Project').

Further, Memorandum of Understanding ("MOU") dated September 02, 2024 executed between M/s Sunworld Residency Private Limited ("The Promoters") and Nimbus Projects Limited ("Co-Developer") was submitted with New Okhla Industrial Development Authority ("NOIDA") along with the Demand Draft of Rs.32 Crore to add Nimbus Projects Limited as a Co-Developer for developing the project "Sunworld Artista Project" phase-II.

Additionally, NOIDA has in principal accepted the request and issued letter no. NOIDA/ GH-01C/ 168/ 2024/ 10881 dated September 23, 2024 received at 01:50 p.m. (IST) in favour of M/s Sunworld Residency Private Limited allowing Nimbus Projects Limited to act as Co-developer, subject to fulfillment of conditions as contained in letter which is enclosed as "**Annexure-I**".

You are requested you to please take the above on record.

Thanking you
Yours faithfully,

For Nimbus Projects Limited

Ritika Aggarwal
Digitally signed by
Ritika Aggarwal
Date: 2024.09.23
18:00:43 +05'30'

Ritika Aggarwal
(Company Secretary & Compliance Officer)
M.No. A69712

Encl.: As above

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्र सं0-नौएडा/जीएच-1सी/168/2024/10881
दिनांक.....23.....सितम्बर, 2024

सेवा में,

मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा0लि0,

जीएच-1सी, सैक्टर-168,

नौएडा।

विषय-ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-1सी, सैक्टर-168, नौएडा के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक 30.08.2024 एवं 12.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त भूखण्ड के विरुद्ध कुल देय आगणित धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि हेतु अवशेष धनराशि रू0 32 करोड़ जमा कराते हुए शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के प्राविधानों के दृष्टिगत निम्बस प्रोजेक्ट लि0 के साथ दिनांक 02.09.2024 को निष्पादित एम0ओ0यू0 की प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करने हेतु Nimbus Projects Ltd. को सह-डेवलपर के रूप में मान्यता दिये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त टावर-1 एवं टावर-6 का अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु तथा 25 प्रतिशत जमा धनराशि के सापेक्ष उप पट्टा प्रलेख निष्पादित किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्लॉज-9, 20 एवं 21(V) में कॉ-डेवलपर के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्राविधान किये गये हैं:-

9. को-डेवलपर (सह-डेवलपर्स) को शामिल करना: परियोजना को पूरा करने के लिए को-डेवलपर्स को प्राधिकरण के अभिलेखों में रिकॉनाईज करते हुए अनुमति दी जाएगी। को-डेवलपर को अनुमति की दशा में प्राधिकरण के ड्यूज को अदा करने तथा परियोजना को पूर्ण करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से को-डेवलपर तथा आवंटी की होगी।

20. यदि कोई डेवलपर निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है तो 3 वर्ष की अवधि के बाद ड्यूज की शेष धनराशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा, और परियोजना प्राधिकरण द्वारा पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि प्राधिकरण को ड्यूज का भुगतान किया जा चुका है तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

21 v- यदि कोई को-डेवलपर परियोजना को पूर्ण करने में शामिल होना चाहता है तो वह प्राधिकरण में बिल्टर की सहमति के साथ को-डेवलपर के रूप में परियोजना में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकरण द्वारा 15 दिन के अन्दर को-डेवलपर के विषय में प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेते हुए आवेदक को परियोजना में को-डेवलपर के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके उपरान्त प्राधिकरण के बकायों के भुगतान के लिए तथा परियोजना को पूरा करने के लिए ओरिजनल आवंटी तथा को-डेवलपर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

आपके प्रत्यावेदन के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.12.2023 की उक्त शर्तों के अधीन उक्त भूखण्ड संख्या जीएच-1सी, सैक्टर-168, नौएडा पर परियोजना को पूर्ण करने हेतु मैसर्स निम्बस प्रोजेक्ट लि0 को प्राधिकरण के अभिलेखों में रिकॉगनाईज करते हुए कॉ-डेवलपर के रूप में निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त भूखण्ड उक्त भूखण्ड के विरुद्ध प्राधिकरण के बकायों के भुगतान के लिये तथा परियोजना को पूरा करने के लिये मूल आवंटी एवं कॉ-डेवलपर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

2. यदि आवंटी एवं कॉ-डेवलपर निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त परियोजना को पूरा करने में विफल रहते हैं तो 3 वर्ष की अवधि के बाद ड्यूज की शेष धनराशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा और परियोजना प्राधिकरण द्वारा पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि प्राधिकरण को ड्यूज का भुगतान किया जा चुका है तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

W


3. उक्त भूखण्ड के विरुद्ध कार्यालय पत्र दिनांक 13.02.2015 के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में बंधक अनुमति प्रदान की गयी है। मैसर्स निम्बस प्रोजेक्ट लि० को कॉ-डेवलपर के रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से एन०ओ०सी० देना होगा। साथ ही यदि किसी अन्य वित्तीय संस्थान से उक्त भूखण्ड के विरुद्ध ऋण लिया गया है तो उस संस्थान का भी एन०ओ०सी० देना होगा। यदि किसी संस्थान से ऋण नहीं लिया गया है तो इस आशय का रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. उक्त भूखण्ड की परियोजना को पूरा करने हेतु मूल आवंटी एवं कॉ-डेवलपर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा मैसर्स निम्बस प्रोजेक्ट लि० को कॉ-डेवलपर के रूप में मान्यता देने के दृष्टिगत इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री डीड कराकर प्रस्तुत करनी होगी।

5. आवंटी एवं कॉ-डेवलपर को संयुक्त रूप से उपरोक्त बिन्दु-1 एवं 2 के अनुपालन के सम्बन्ध में इस आशय का रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा कुल देय धनराशि का जमा 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष कुल निर्मित 400 यूनिट्स का 25 प्रतिशत 100 यूनिट्स के उप पट्टा प्रलेख निष्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही टावर-1 एवं टावर-6 का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह पत्र सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त तथा प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।


विशेष कार्याधिकारी
गुप हाउसिंग

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी-वी०टी० महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, नौएडा।
4. महाप्रबन्धक-नियोजन, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-9, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. मैसर्स निम्बस प्रोजेक्ट लि०, 1001-1006, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


विशेष कार्याधिकारी
गुप हाउसिंग